रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092024-256946 CG-DL-E-05092024-256946

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2024/भाद्र 14, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2024/BHADRA 14, 1946

No. 495]

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 537(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम, 1992 के नियम 6 के उपनियम (1) के खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-
 - "(v) 1 मार्च, 2003 से आरंभ होने वाली किंतु 1 अक्तूबर, 2024 से पूर्व की अविध के लिए किसी मास के दसवें दिन और मास की समाप्ति के बीच के लिए किसी खाते में न्यूनतम शेष पर कैलेंडर मास के लिए साढे सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसे ब्याज की संगणना और खाते में उसका प्रत्यय प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा।

5709 GI/2024 (1)

(vi) इन नियमों के अधीन राष्ट्रीय बचत स्कीम में अभिदाताओं के खाते में शेष पर 1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा।"

[फा. सं.14/1/2018-एनएस-भाग (1)]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

टिप्पण: राष्ट्रीय बचत स्कीम नियम, 1992 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 763 (अ), तारीख 15 सितंबर, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46(अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 541(अ) तारीख 14 जून, 2000 सा.का.नि.154 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 162 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि 710 (अ) तारीख 17 अक्तबर, 2002 और सा.का.नि. 178 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2024

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Scheme Rules, 1992, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the National Savings Scheme (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Savings Scheme Rules, 1992, in rule 6, in sub-rule (1), for clause (v), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(v) For the period commencing from the 1st day of March, 2003 but before 1st day of October, 2024, the interest at the rate of seven-and-a-half per cent per annum shall be allowed for a calendar month on the lowest balance at credit of an account between the close of the tenth day and the end of the month and such interest shall be calculated and credited to the account at the end of each year.
 - (vi) The balances at the credit of the subscribers of the National Savings Scheme under these rules, on or after the 1st day of October, 2024, shall bear no interest.

[F. No. 14/1/2018-NS-Part(1)]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Note: The National Savings Scheme Rules, 1992 were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 1992 and subsequently amended *vide notification* numbers G.S.R. 46(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 541(E), dated the 14th June, 2000, G.S.R. 154(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 162(E) dated the 1st March, 2002, G.S.R. 710(E), dated the 17th October, 2002 and G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2003.